"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2007— 23, अग्रहायण 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31-1-2007 के द्वारा श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से. (सीजी :1978), को प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा संस्कृति विभाग एवं आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम के पद पदस्थ किया गया था.

2. चूंकि श्री राकेश चतुर्वेदी, भा. व. से. (सीजी :1985) को छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1-17/30/सं./2007, दिनांक 4-10-2007 के द्वारा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्री राकेश चतुर्वेदी द्वारा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री टी. राधाकृष्णन को केवल आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.— इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-10-2007, जिसके द्वारा श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 05-11-2007 से 16-11-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.— श्री अन्बलगन पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब., दन्तेवाड़ा को दिनांक 10-12-2007 से 24-12-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 25 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब., दंतेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/02/2006/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-11-2007 द्वारा श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 12-11-2007 से 15-11-2007 (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में श्री ब्राम्हणे को दिनांक 16-11-2007 का एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 नवंबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/07/2005/1/2.— श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द. ब., दन्तेवाड़ा को दिनांक 10-12-2007 से 24-12-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 25 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलरमेलमंगई डी. आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द. ब., दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Smt. Chandrakanta Singh, Indrasen Nagar, 27 Kholi, In front of Shivmandir, Bilaspur, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Bilaspur with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्री एम. युसूफ मेमन, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Shri M. Yusuf Meman, Mahasamund Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Mahasamund with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर कुमारी तृप्ति शास्त्री, साहू सदन के पास, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Ku. Tripti Shastri, Near Sahu Sadan, Kelabadi, Durg Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Durg with effect from the taking over the charge for a perid of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्री अशफाक अली एवं श्रीमती सुरिन्दर जीत कथूर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Shri Ashfaq Ali and Smt. Surinder Jeet Kathoor, Surguja, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Surguja with effect from the taking over the charge for a perid of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-17/खाद्य/2003/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा श्री खेलनदास सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष के पद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, विशेष-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक / पं/पंग्राविवि/2007/2372 .— छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994, यथासंशोधित) की धारा 21क के साथ पठित धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिनियम की धारा 21क (1) एवं (2) के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी नामनिर्दिष्ट करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त-सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 5-115/06/42 रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

बी. पी. एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) छात्र कल्याण छात्रवृत्ति-तकनीकी शिक्षा

1. **प्रस्तावना :** नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा पॉलिटेकनिक महाविद्यालयों में बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की योजना लागू की जा रही है. इस योजना को लागू किये जाने का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवारों के पुत्र/पुत्रियों को, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में (इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेकनिकों) अध्ययनरत हैं, आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय करना है. इस छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को मिल सकेगा, जिनके माता/पिता/अभिभावक को राज्य शासन द्वारा बी. पी. एल. कार्ड जारी किया गया है. यह आवश्यक होगा कि बी. पी. एल. कार्ड में छात्र/छात्रा का नाम भी अंकित हो. केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट तथा छात्रवृत्ति का लाभ वर्तमान में दिया जाता है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राओं को जिनके माता/पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 25,000.00 या उससे कम है शिक्षण शुल्क में छूट तथा छात्रवृत्ति का प्रावधान आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है. वर्तमान में सामान्य प्रवर्ग के छात्र/छात्राओं को किसी विशेष छूट का प्रावधान नहीं है.

अतः बी. पी. एल. छात्रवृत्ति के लिए सामान्य प्रवर्ग के ही ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, विचार किया जायेगा. यह छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं की संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं नियमित उपस्थिति के आधार पर देय होगी.

2. **उद्देश्य :** इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा शासकीय पॉलीटेकनिकों में अध्ययनरत बी. पी. एल. वर्ग के सामान्य प्रवर्ग के छात्र/छात्राओं को अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.

3. **बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति-तकनीकी शिक्षा नियम :** ये नियम बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा नियम 2007 कहलायेंगे. इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले "सामान्य प्रवर्ग" के परिवार से आने वाले छात्र/छात्राओं को मिल सकेगा.

इन नियमों में :-

(क) बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति से तात्पर्य ऐसे छात्र/छात्राओं के लिये नियतकालीन भुगतानों से है जो राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेकनिकों में अध्ययनरत हों एवं जिनके पिता/माता/अभिभावक छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय प्रावधानों के तहत बी. पी. एल. (गरीबी रेखा के नीचे) कार्डधारी हों.

(ख) "संतोषजनक प्रगति" से तात्पर्य सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने से है.

(ग) "नियमित उपस्थिति" से तात्पर्य किसी छात्र/छात्रा की विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति से है.

(घ) "रिक्त छात्रवृत्ति" से तात्पर्य उन छात्रों की छात्रवृत्ति की संख्या है जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, दुराचरण का दोषी पाये जाने पर छात्रवृत्ति के अधिकार से वंचित है, पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देने के कारण रद्द किये जाने से छात्रवृत्ति रिक्त है.

(ङ) "अर्हकारी परीक्षा" से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर कोई भी उम्मीदवार अध्ययन के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम/उच्च सेमेस्टर में प्रवेश पाने के लिए अर्ह हो जाये.

(च) "पी. ई. टी. परीक्षा" से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा.

यह छात्रवृत्ति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जायेगी -

(1) छात्र/छात्रा छत्तीसगढ़ राज्य का/की स्थानीय निवासी हो.

(2) छात्र/छात्रा को किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न हो रहा हो.

(3) यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को दी जायेगी जो राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेकनिक संस्थाओं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हों.

(4) छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्रा का राज्य के भीतर किसी एक शिक्षण संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर उसे स्थानांतरित की गई संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी बशर्ते की वह उस अध्ययन क्रम को जारी रखे जिसके लिये प्रारंभ में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी.

(5) छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य शासन अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी. पी. एल. कार्ड/प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. संबंधित संस्था के प्राचार्य मूल बी. पी. एल. कार्ड से छायाप्रति को सत्यापित करेंगे.

(6) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत बी. पी. एल. के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति पी. ई. टी. में प्राप्त अंकों/रैंक के आधार पर निर्धारित होगी. पॉलीटेकनिक में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत बी. पी. एल. के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगी. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले डिप्लोमाधारी छात्र/छात्रा जो लेटरल एंट्री द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेशित होंगे उनकी मेरिट का निर्धारण अंतिम वर्ष डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा.

(7) उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनके पिछले सेमेस्टर की उत्तीर्ण परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी.

(8) प्रयास किया जायेगा कि बी. पी. एल. छात्रवृत्ति का लाभ बी. पी. एल. के सभी छात्र/छात्राओं को मिले.

(9) यह छात्रवृत्ति बजट सीमा के अध्यधीन होगी.

(10) राज्य शासन के निर्देशानुसार नियमों/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है.

4. **अवधि :** एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 10 माह की होगी. यदि वास्तविक अध्ययन की अवधि कम समय की होगी तो वास्तविक अध्ययन की अवधि के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी. छात्रवृत्ति प्रत्येक सेमेस्टर के लिये देय होगी. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण तभी किया जावेगा जब छात्र/छात्रायें अपना पिछला सेमेस्टर उत्तीर्ण करेंगे.

5. **छात्रवृत्ति हेतु संचालनालय स्तर पर छात्रवृत्ति समिति :**

1.	संचालक/अतिरिक्त संचालक	-	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	-	सदस्य (एक प्राचार्य संचालक द्वारा मनोनित)
3.	प्राचार्य (पॉलीटेकनिक)	-	सदस्य (एक प्राचार्य संचालक द्वारा मनोनित)
4.	उप-संचालक (शैक्षणिक शाखा)	-	सदस्य सचिव

6. **संस्था प्रमुख/प्राचार्यों के लिये निर्देश :**

(1) बी. पी. एल. छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव प्राचार्य संचालनालय को प्रत्येक सेमेस्टर विषम सेमेस्टर तथा सम सेमेस्टर के लिये भेजेंगे. प्रथम प्रस्ताव माह सितंबर एवं द्वितीय प्रस्ताव माह फरवरी में भेजेंगे.

(2) संचालनालय स्तर पर मेरिट आधार पर युक्तियुक्त एवं पारदर्शी तरीके से बी. पी. एल. छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत होंगी. छात्रवृत्तियों की राशि संबंधित संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं को बैंक के माध्यम से भुगतान हेतु चेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

(3) प्राचार्य नवीनीकरण हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करेंगे जिन्हें पूर्व के सेमेस्टर में छात्रवृत्ति मिल रही थी और पिछला सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया है. सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति प्राचार्य द्वारा प्रमाणित, आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए.

(4) जिन छात्रों को विभिन्न कारणों से पिछले सेमेस्टर/सेमेस्टरों में छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी वे भी पूर्व की सभी उत्तीर्ण अंकसूचियां आवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे. प्राचार्य प्राप्त आवेदन पत्रों को संचालनालय तकनीकी शिक्षा विचारार्थ भेजेंगे.

7. **छात्रवृत्ति का नवीनीकरण, छात्रवृत्ति का रद्द किया जाना :**

(1) नियमों के अधीन छात्रवृत्ति छात्र/छात्रा के संतोषजनक प्रगति, सदाचरण व सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर प्रदाय की जायेगी.

(2) यदि छात्र प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण न होकर अधिक प्रयासों में उत्तीर्ण होता है तो जब वह अगले सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करता है तब उसको उस सेमेस्टर में छात्रवृत्ति देने हेतु विचार किया जावेगा.

(3) बी. पी. एल. छात्रवृत्ति के लिये चयनित छात्र/छात्रा यदि सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठे तो उनकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जायेगी.

8. **बजट आवंटन :** संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा बनाई गई छात्रवृत्ति सूचियों के आधार पर निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक संस्था में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि का आवंटन संस्थाओं को जारी कर दिया जावेगा. संबंधित संस्था के प्राचार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ वितरित करेंगे

9. **बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की दर :**

छात्रवृत्ति का नाम	**पाठ्यक्रम**	**अवधि**	**दर**
बी. पी. एल. छात्रवृत्ति	बी. ई.	सेमेस्टर (05 माह)	1000.00 प्रतिमाह
	डिप्लोमा	सेमेस्टर (05 माह)	500.00 प्रतिमाह

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये अधिकतम 06 सेमेस्टर तथा पी. ई. टी. के आधार पर प्रवेश प्राप्त स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये अधिकतम 08 सेमेस्टर मान्य होंगे. लेटरल एंट्री से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अधिकतम 06 सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, संयुक्त-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

रा. प्र. क्र./4/ अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	कुसमी	सिविलदाग	27.830	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर जिला-सरगुजा.	सिविलदाग जलाशय के डूब क्षेत्र, नहर, स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.